

17.11.25

कमील डिस्ट्रीफाल उप.। तहसीलकार धौलपुर की केजेट
अनुसार उच्च आरजी पर माननीय न्यायालय
अपर जिलाधीश महोदय धौलपुर के आदेश दिनांक 30.6.2020
से स्वयं का नोट उठावंगी पर अंकित होने से डिस्ट्री
की पालना हेतु नामांतरण पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

ज्ञातः माननीय न्यायालय के स्वयं का नोट उच्च आरजी
पर अंकित होने के कारण नामांतरण की कार्यवाही किया
जाना संभव नहीं है। जिले की पालना किया जाना संभव नहीं है।
डिस्ट्री

कतः प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित की जाती
है। नवीन आदेशों के साथ पुनः प्रकरण प्रस्तुत हो। प्रकरण नंबर
से क्रम है। आदेश सुनाया गया।

